मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः08.03.2026

थाना चुनार पुलिस द्वारा 02 शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादे गये 03 राशि गोवंश बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के क्रम मे जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। आज दिनांकः08.03.2026 को थाना चुनार पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति ग्राम शिवपुर स्थित बगीचे में गोवंशों को इकट्ठा कर लादने की फिराक में है जिन्हे वध हेतु बिहार ले जायेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस द्वारा मौके पर दबिश देकर 02 व्यक्तियों को बोलेरो वाहन एवं 03 राशि गोवंशों सहित पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता 1.मिंकू यादव पुत्र स्व0गामा यादव उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सरगुजिया थाना बबुरी जनपद चन्दौली व 2.फिरोज पुत्र मतउल्ला निवासी कसाई मोहल्ला छोटा मीरजापुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर बताया गया। मौके से एक बोलेरो अंकित वाहन संख्या:BR24P1697, 06 राशि गोवंश(बैल) तथा जामा तलाशी से 02 की-पैड मोबाइल व ₹ 27950/-नकद बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-93/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गो-तस्करी की घटना में प्रयुक्त बोलेरो अंकित वाहन संख्या:BR24P1697 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा आसपास के घुमन्तू जानवरों को दिन में ढूढकर पकड़ा जाता है जिन्हे इकट्ठा कर वध हेतु बिहार चैनपुर में ले जाकर बेच दिया जाता है। गोवंशो की बिक्री से प्राप्त पैसे को आपस में बांट कर भौतिक सुख-सुविधा एवं जीविकोपार्जन किया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. मिंकू यादव पुत्र स्व0गामा यादव उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सरगुजिया थाना बबुरी जनपद चन्दौली, उम्र करीब-30 वर्ष।
2. फिरोज पुत्र मतउल्ला निवासी कसाई मोहल्ला छोटा मीरजापुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-32 वर्ष।

बरामदगी विवरण—

03 राशि गोवंश(बैल)

एक बोलेरो वाहन संख्या:BR24P1697.

जामा तलाशी से 02 की-पैड मोबाइल व ₹ 27950/- नकद।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-93/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम शिवपुर स्थित बगीचे से, आज दिनांकः08.03.2026 को समय 02:30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक विजय शंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक चुनार, जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार यादव, निरीक्षक अपराध थाना चुनार, मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी विनय राय, विमलेश सिंह, अनिल यादव, सिकन्दर यादव, शिम्पू व आरक्षी भानू प्रताप सिंह।